

01.5.2025 पञ्जाबनी वादीगण मज वकील के  
 जामना का वारंट पञ्जाबनी गैरी पर  
 रफ्तार के वाक्य पेश हैं। वकील  
 प्रतिवादी उल्लिखित। वकील वादीगण के निर्देश  
 कि वादीगण य प्रतिवादी करंदा 04  
 के प्रथम आपली सहपति के आधार पर  
 प्रथम अदालत की जाचना के प्रति एंगर  
 राखीनादा हो गया है। राखीनादा डाइगरे  
 प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा जो शूरी अंतरिक्ष  
 के रबीड फानी तप की को पुः। वादी संख्या  
 03 (शुगरी) के नाम राखीनादा कवाग तप  
 किता है। कब विवाद नहीं होने के कारण  
 वादीगण का जोड सिट्टेल रवारिफ किता जाके।  
 वकील प्रतिवादी द्वारा जामना का पर अनपति  
 की गई है।

इसने उभयपक्ष हाकिमपक्षों की पहल  
 सुनी और वरत पर प्रत्येक पक्ष पर वादा जो  
 वादीगण संघ के स्वीकार किता है कि वादनाम  
 शूरी के कवंध में प्रथमदालत के प्रथम राखीनादा  
 के गया है। कब कोई विवाद नहीं होते

सहायक कलेक्टर  
 (S.D.O.) बल्लोवा,

वेपो देवी  
 मजबू

R-PI  
 सुगरी  
 (वकील प्रतिवादी)

14/2024

क्र. सं.  
संख्या

सुक्ष्म या कार्यवाही अथ इतिशियत्य जन

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
की तामील में ज

के कारण वाद आगे चलाया नहीं चाहते  
हैं। यदि वादीगण अपने वाद-का को  
आगे चलाया नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति  
में अदालत को काफ़ी जमानत पर  
सिद्धा जाता है। तथा अदालत द्वारा - का  
स्वीकार की जायत वादीगण का वाद  
इसी तरह पर नकारिक सिद्धा जाता है।  
यथावकी कानून सुनाने के लिए दाखिल  
किए गए हैं।

सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोचर